न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 9/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर। – प्रार्थी

बनाम

हीरादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति खटीक नि0 ग्राम ढाणीनागान तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24/06/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल तहसीलदार जोबनेर ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ढाणीनागान, पटवार हल्का ढाणीनागान, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 507/2 रकबा 0.9104 हैक्टेयर, किस्म बारानी 3 राजस्व रिकार्ड में हीरादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति खटीक हिस्सा सम्पूर्ण ग्राम ढाणीनागान तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का ढाणीनागान रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार हीरादेवी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयो ने आवंटन शर्तो का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस सही पते के अभाव में अदम तामिल प्राप्त हुयें। पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है तथा पत्रावली में आवंटन आदेश भी संलग्न नहीं की है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा हाल तहसीलदार जोबनेर का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि आवंटियों के पूर्ण पते व आवंटन रिकार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजात के साथ प्रकरण 1 माह में पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24/06/25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर